



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00700/CR-1

दिनांक: 23.07.2018

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 13.07.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00700 के तहत प्राप्त हुआ है । जिसका उत्तर निम्नानुसार इस प्रकार है:- ।

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत I/C (डाक अनुभाग), custodian of information भी है की सहायता ली गयी आप द्वारा चाही गई सूचना आपको प्रदान करने हेतु .

I/C (डाक अनुभाग) का जवाब (in original) जो की self explanatory है सलंगन है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067 ।

सलंगन: उपरोक्त

Handwritten signature

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप -सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

Email Id: drcr1@cic.nic.in

प्रतिलिपि :

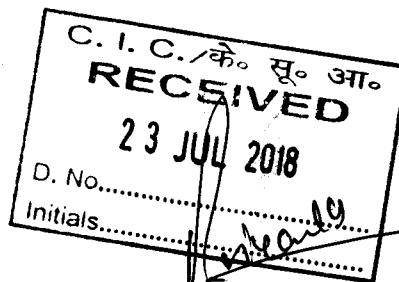
1/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग।

Handwritten signature

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप -सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1



केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg / बाबा गंगनाथ मार्ग,
Munirka/मुनिरका, नई दिल्ली/New Delhi -110067
Website-cic.gov.in

File No. 3/1/2018/डाक अनुभाग
CICOM/R/2018/00700/CR-1

Date 18-07-2018

प्रति

उप सचिव एव सी.पी.आई.ओ.(सी.आर.-१)
केन्द्रीय सूचना आयोग
नई दिल्ली

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ५(४) के अंतर्गत सहायता।

महोदय,

आपके पत्र संख्या CICOM/R/2018/00700/CR-1 के तहत दिनांक 13-07-2018 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करे। डाक अनुभाग से सम्बंधित सूचना निम्न है

१. कंप्यूटराइज्ड डाक मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार प्रार्थी द्वारा जो अपील 20-09-2017 को भेजी गई है वो आयोग में 26-09-2017 को मिली है जिसको 167719/2017 डायरी संख्या दिया गया है यदपि डायरी संख्या 167719/2017 की प्रति में 67/Z/431RTI दिनांक 15-06-2017 और 67/Z/432/RTI दिनांक 15-06-2017 दोनों का जिक्र किया गया है, लेकिन संलग्न दस्तावेज एक जैसे हैं, इसलिए दो डायरी संख्या ना देकर सिर्फ एक डायरी संख्या 167719/2017 दिया गया है। जिसका कमीशन द्वारा दिनांक 11-12-2017 को फाइल CIC/EPFOG/A/2017/167719/ESICO के तहत अपना आदेश दिया गया है।

Seniya
21/07/18
सहायक (डाक अनुभाग)